राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर

(फोन न0 0141–5111159, फैक्स न0 0141–5111040)

क्रमांक : प. 1( ) आरएमएससी/वित्त /2011–12/53 दिनांक : 14/9/2011

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय :– माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं. 47–48 की अनुपालना में अतिरिक्त बजट प्रावधान कराने के संबंध में।

संदर्भ :– निगम का पूर्व समसंख्यक पत्र क्रमांक दिनांक 10.08.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दू संख्या 47–48 की अनुपालना में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन का गठन किया जाकर दिनांक 02.10.2011 से राज्य के समस्त चिकित्सालयों में सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी है। निगम के संदर्भित समसंख्यक पत्र द्वारा आपसे निवेदन किया गया था कि आप अपने अधीन राजकीय चिकित्सा महाविधालयों के संबंधित बजट शीर्ष में राशि रू. 5434.25 लाख का अतिरिक्त प्रावधान करावें।

इस संबंध में राजस्थान सरकार मंत्रीमंडलीय आज्ञा 49/2011 दिनांक 02.04.2011 द्वारा इस संबंध में केबिनेट मीमो के बिन्दू संख्या X(3) अनुसार **"जिला अस्पताल स्वविवेक से अत्यावश्यक औषधियॉ आवश्यकतानुरूप एवं मेडीकल कॉलेज स्वविवेक से आवश्यकतानुरूप सुपर–स्पेशियलिटी (कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, एण्डोक्रोनोलोजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी इत्यादि) हेतु 10 प्रतिशत तक औषधियॉ अपने स्तर पर क्रय कर सकेंगें। जिला अस्पतालों एवं मेडीकल कॉलेज हेतु आवण्टनीय बजट का 10 प्रतिशत वित्त विभाग द्वारा सीधे ही संबंधित मेडीकल कॉलेजो एवं स्वास्थ्य निदेशालय/जिला अस्पतालों हेतु पृथक उपशीर्ष खोलकर आवंटित किया जावेगा, जबकि 90 प्रतिशत सीधे ही पृथक रूप से उपशीर्ष खोलकर वित्त विभाग द्वारा राजस्थान मेडीकल सर्विस कारपोरेशन के मद में आवंटित किया जावेगा।"** वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा भी अब यह सहमति दी है कि चालू वित्तीय वर्ष में दवाईयों एवं सर्जिकल्स/सूचर्स के क्रय हेतु अनुमानित राशि (प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार) रू. 100.00/– करोड का 90 प्रतिशत सीधे ही निगम को निजी निक्षेप खाते के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेगा। अतः इस अनुसरण में आपके बजट अनुमानों 54.34 करोड का 10 प्रतिशत अर्थात् 5.4 करोड राशि सीधे ही आपको उपलब्ध करायी जानी है। अतः इस अनुसरण में राशि 5.4 करोड दवाइयों के क्रय हेतु सीधे ही वित्त विभाग द्वारा आपके बजट शीर्ष में उपलब्ध करायी जानी है, के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग में भिजवाने का श्रम करावें।

– Sd –

प्रबंध निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव चिकित्सा

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, आरएमएससी एवं प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निदेशक, वित्त (बजट), वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (वित्त)